


जो कि प्रथमपक्ष की ग्राम बुल्लावाला निकट बी०एस०एफ० कैम्प, तहसील डोईवाला जिला देहरादून में अपनी भवन सम्पत्ति है जिसमें दो कमरे, एक किचन, बरामदा आदि निर्मित है तथा 8 बीघा भूमि खाली है वर्णित भूमि भवन सम्पत्ति हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त पाक साफ दशा में है तथा प्रथमपक्ष उपरोक्त सम्पत्ति पर काबिज व अध्यासी है प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त भूमि भवन सम्पत्ति द्वितीयपक्ष के आग्रह पर ग्यारह माह यानि दिनांक 01.08.2025 से दिनांक 30.06.2026 तक के लिए किराये पर दे दी है जिसकी शर्तें निम्न हैं :-

- 1- यह कि उक्त भूमि भवन सम्पत्ति का मासिक किराया 17,100/- (सत्रह हजार एक सौ रुपये) तय हुआ है तथा बिजली व पानी का बिल द्वितीयपक्ष किराये के अतिरिक्त अलग से वहन करेगा।
- 2- यह कि द्वितीयपक्ष उक्त भवन का किराया प्रत्येक अग्रेंजी माह की 07 तारीख तक प्रथमपक्ष को भुगतान कर देगा तथा द्वितीयपक्ष उक्त भवन व उसके आस पास स्वच्छता बनाये रखेगा उक्त किराये वाले भवन पर तोड़ फोड़ व स्वरूप परिवर्तन नहीं करेगा, ना ही कोई नया निर्माण आदि करेगा।
- 3- यह कि द्वितीयपक्ष उक्त किराये वाली भूमि भवन सम्पत्ति पर किसी अन्य को साझीदार व भागीदार नहीं रखेगा न ही किसी अन्य को किराया शिक्की पर देगा।
- यह कि द्वितीयपक्ष ने उक्त भूमि भवन सम्पत्ति कंकरीट प्लांट हेतू किराये पर दिया है द्वितीयपक्ष उक्त भूमि भवन सम्पत्ति पर कोई विधि विरुद्ध कार्य नहीं करेगा कंकरीट सम्बन्धि मशीन आदि लगा सकता है।
- 5- यह कि यदि प्रथमपक्ष को उक्त भूमि भवन सम्पत्ति की आवश्यकता किरायानामा अवधि से पूर्व होती है तो वह एक माह पूर्व लिखित व मौखिक सूचना द्वितीयपक्ष को देकर उक्त किराये वाली सम्पत्ति खाली करवा सकता है तथा यदि द्वितीयपक्ष उक्त भूमि भवन सम्पत्ति को खाली करना चाहे तो वह भी एक माह पूर्व लिखित व मौखिक सूचना प्रथमपक्ष को देकर उक्त भूमि भवन सम्पत्ति को खाली कर देवे।



6- यह कि यदि द्वितीयपक्ष उक्त भूमि भवन सम्पत्ति का किराया लगातार दो माह तक भुगतान नहीं करता है तो प्रथमपक्ष को अधिकार होगा कि वह लिखित व मौखिक सूचना देकर उक्त सम्पत्ति द्वितीयपक्ष से खाली करवा लेवे तथा बकाया किराया कानूनन वसूल कर लेवे जिस पर द्वितीयपक्ष कोई प्रतिवाद नहीं करेगा।

7- यह कि किरायानामा अवधि समाप्त होते ही द्वितीयपक्ष उक्त किरायेवाली उक्त भूमि भवन सम्पत्ति को साफ सुथरी हालत में खाली कर प्रथमपक्ष को सौंप देगा।

8- यह कि यदि द्वितीयपक्ष पुनः उक्त भूमि भवन सम्पत्ति किराये पर लेना चाहे तो प्रथमपक्ष उक्त भूमि भवन सम्पत्ति द्वितीयपक्ष के व्यवहार को देखते हुए पुनः भूमि भवन सम्पत्ति किराये पर देने व न देने हेतु स्वतन्त्र है यदि द्वितीयपक्ष को किराये पर देता है तो नये किरायेनामे व नई शर्तों पर दे सकता है।

यह कि उपरोक्त वर्णित शर्तों का दोनों पक्ष व उनके उत्तराधिकारी समान रूप से पालन करेंगे।

अतः यह किरायानामा आज दिनांक 13.08.2025 को स्थान ऋषिकेश जिला देहरादून में दोनों पक्षों ने उपस्थित गवाहन के समक्ष अपने स्वरथ मनबुद्धि से बिना किसी बहकावे में आये लिख पढ़ समझकर तैयार कर अपने अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया है ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

हो द्वितीयपक्ष/किरायेदार D. D. KULIYAL 13/08/2025 हो प्रथमपक्ष/भवन स्वामी.....

गवाह-1.....

हुमायूं शहीद
पुराणनदी निवासी -
द्वाल (कुललालाली) ATTESTED

गवाह-2.....

D. D. KULIYAL
Advocate & Notary
Reg. No.-3(01) 2001
Chamoli Rishikesh Dist. Dehradun
Uttarakhand / INDIA
13/08/2025